

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/11833-11858 दिनांक:- 16/11/14

आदेश संख्या 347/2013-14

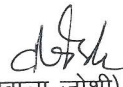
राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार /लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या/ बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि
1	2	3	4	5
01.	देवनाथ सिद्ध	451/90	03.01.1994	03.01.2012
02.	भवर सिंह राजपूत	498/90	03.01.1994	03.01.2012
03.	हेतुराम घोरण	140/92 spl	23.01.1995	23.01.2013
04.	अजीत कुमार जैन	188/92	22.03.1995	22.03.2013
05.	नारायण प्रकाश व्यास	350/92	28.03.1995	28.03.2013
06.	जगदीश प्रसाद	526/92	22.05.1995	22.05.2013
07.	अनिल कुमार मोदी	354/92	04.03.1995	04.03.2013
08.	नरेश कुमार हेमराजानी	आर-54/92	03.07.1995	03.07.2013

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 02, 05 एवं 08 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिक में की जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/11833-11858 दिनांक 16/11/14
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) / निजी/ गार्ड फाईल ।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)